

3817



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता/1127/2011,

दिनांक : 18 मार्च 2011,

कार्यालय आदेश

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 18.01.2011 में लिए गये निर्णय के अनुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2011-2012 में स्नातक/स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लिया जाएगा यदि पाठ्यक्रमों में निर्धारित प्रवेश स्थान से 10 प्रतिशत अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो इस स्थिति में उन पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। कोई महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा के बिना प्रवेश लेना चाहता है तो माननीय कुलपति जी से अनुमति प्राप्त कर प्रवेश का कार्य पूर्ण कर सकेंगे। लेकिन जिन महाविद्यालयों में बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं विधि त्रिवर्षीय के पाठ्यक्रम संचालित हैं तथा जिनकी सम्बद्धता आगामी 30 जून, 2011 को समाप्त नहीं हो रही है केवल वे महाविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा आयोजित कर प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करें। प्रवेश में नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा प्रवेश के पश्चात प्रवेशित छात्रों की सूची (सम्बर्गवार) अनुमोदित एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण (सी.डी. सहित) सम्बद्धता कार्यालय में 15 जुलाई तक उपलब्ध कराये, जिससे प्रवेशित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय में पंजीकृत हो सके और परीक्षा में कोई कठिनाई न हो।

भवदीय,

(आई0 पी0 झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. मा0 कुलपति जी सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. प्राचार्य समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. परीक्षा नियन्त्रक।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय के साथ कि पत्र को सूचनार्थ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।

18.03.11

(आई0 पी0 झा)
कुलसचिव

18/3/11

18/3/11